"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2021—श्रावण 22, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 जून 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त, लोक शिक्षण एवं मिशन संचालक, समग्र शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 1-24/2013/(6)52(पार्ट-1).—राज्य शासन एतद्द्वारा ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत कार्यरत् उपक्रम छ.ग. खाद तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में निम्नांकित सदस्यों द्वारा छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सदस्य पद पर नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)	गृह जिला (4)
1.	श्री किशन खण्डेलवाल	सदस्य	राजनांदगांव
2.	श्री हेमंत देवांगन	सदस्य	दुर्ग
3.	श्री कौशल चन्द्राकर	सदस्य	दुर्ग
4.	श्री जगदीश मेंहर	सदस्य	रायगढ़

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 1-24/2013/(6)52(पार्ट-1).—राज्य शासन एतद्द्वारा ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत कार्यरत् उपक्रम छ.ग. माटीकला बोर्ड में निम्नांकित अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा छ.ग. माटीकला बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)	गृह जिला (4)
1.	श्री बालम चक्रधारी	अध्यक्ष	दुर्ग
2.	श्री सोनूराम नाग	सदस्य	बस्तर
3.	सुश्री पुनीता प्रजापति	सदस्य	जांजगीर-चांपा
4.	श्री कुलवंत प्रजापति	सदस्य	सूरजपुर
5.	श्री कृष्णा चक्रधारी	सदस्य	रायपुर
6.	श्री बसंत चक्रधारी	सदस्य	बिलासपुर
7.	श्री खिलावन चक्रधारी	सदस्य	दुर्ग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2021

क्रमांक 1325/एफ-7/33/CSERC/2020/13/1.—राज्य शासन के आदेश क्रमांक 610/एफ-7/33/CSERC/2020/13/2 दिनांक 27-02-2021 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया है. चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा-85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, समिति के अनुशंसा पर विचारोपरांत, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा-82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमन्त वर्मा आत्मज श्री बाबूलाल मढ़रिया, एडिशनल वाईस प्रेसिडेन्ट, बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. श्री हेमन्त वर्मा की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए होगी.

4. श्री हेमन्त वर्मा को देय वेतन एवं भत्ते, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तें हेतु जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रशासित रहेगा.

5. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2021

क्रमांक 1327/एफ-7/33/CSERC/2020/13/1.—राज्य शासन के आदेश क्रमांक 612/एफ-7/33/CSERC/2020/13/2 दिनांक 27-02-2021 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया है. चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा-85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार सदस्य की नियुक्ति हेतु अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, समिति के अनुशंसा पर विचारोपरांत, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा-82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आत्मज स्वर्गीय श्री आर. एल. गुप्ता, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, (सी एण्ड एल एम), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

3. श्री प्रमोद कुमार गुप्ता की नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए होगी.

4. श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को देय वेतन एवं भत्ते, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य की सेवा शर्तें हेतु जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रशासित रहेगा.

5. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार).

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2021

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2020) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित-2020) के नियम-3 के अधीन परिशिष्ट-1 सूची में प्रविष्टि-71 के

पश्चात् निम्नांकित नवीन वस्तुओं सम्मिलित किया जाता है :—

स्कूल शिक्षा विभाग में क्रय हेतु

अनुक्रमांक – 72 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी, विद्यालय स्तर के सामग्रियों से संबंधित सामग्री

1– एल.ई.डी. टीवी

2– सीसीटीवी कैमरा (कक्षा अवलोकन हेतु कैमरा)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में क्रय हेतु

अनुक्रमांक – 73 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की आवश्यकता

1- Tri Cycle (Garbage Container)
2- E-Rikshaw (Garbage Container)
3- Globes/Mask/Apron/Shoe
4- Plastic bottle Compression Machine
5- Plastic Shredder Machine
6- Hand Cart

स्कूल शिक्षा विभाग में क्रय हेतु

अनुक्रमांक – 54/122 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर के खेल सामग्रियों से संबंधित सामग्री

25– रस्साकस्सी के उपकरण/सामग्री
26– योगा के उपकरण/सामग्री
27– सॉफ्ट टेनिस के उपकरण/सामग्री
28– कैरम के उपकरण/सामग्री
29– भौंरा के उपकरण/सामग्री
30– कंचे के उपकरण/सामग्री
31– पिट्ठुल के उपकरण/सामग्री
32– मल्लखंब के उपकरण/सामग्री
33– रस्सी कूद के उपकरण/सामग्री
34– हैंडबाल के उपकरण/सामग्री
35– पतंगबाजी के उपकरण/सामग्री
36– गेंडी के उपकरण/सामग्री
37– शतरंज के उपकरण/सामग्री
38– क्रिकेट के उपकरण/सामग्री
39– नेटबाल के उपकरण/सामग्री

उपरोक्त सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 1–16/2004/11/6(पार्ट).—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक ई 1–01/2021/एक–2, दिनांक 05–06–2021 के परिपालन में श्री सत्यनारायण राठौर के द्वारा दिनांक 14–06–2021 को पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, नवा रायपुर, अटल नगर में कार्यभार ग्रहण किया गया है.

2. अतः छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित 1998) की धारा–4 (1) एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम–1932 की धारा–57 (1) के तहत् श्री सत्यनारायण राठौर, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, आगामी आदेश तक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं की समस्त शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, अवर सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 7-03/2021/सात-1.—छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्र. 7 सन् 2004) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अमृत मिशन के अंतर्गत खारून नदी की सफाई पाईपलाईन बिछाने एवं मुख्य छिद्र (मेन होल) की नियमित देखरेख करने के उद्देश्य से भूमिगत पाईपलाईन हेतु निजी भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों के अर्जन के लिये, उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के पालन करने के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित क्षेत्र के लिये सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	क्षेत्राधिकारिता (3)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.	अनुविभाग रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

No. F 7-3/2021/Seven-1.—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 2 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (No. 7 of 2004), the State Government, hereby, appoints as Competent Authority the officer mentioned in column (2) for the area mentioned against them in Column (3) of the Schedule given below to perform the functions of the competent Authority under the said Act for acquisition of right of user in Private Land for underground pipelines under the Amrit Mission, for the Purpose of cleaning the Kharun River, laying a pipeline and a way for regular maintenance of the main hole :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Designation of Officer (2)	Jurisdiction on the Area (3)
1.	Sub-Divisional Officer (R) Raipur, District-Raipur, Chhattisgarh.	Sub-division Raipur, District Raipur, Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार पटेल, अवर सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जून 2021

क्रमांक एफ 1-01/2020/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री आलोक कुमार बाजपेयी (2018)	संलग्नाधिकारी, धमतरी	संभागीय प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री थ्रेजस एस. (2018)	संलग्नाधिकारी, दंतेवाड़ा	संभागीय प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर.
3.	श्री शशि कुमार (2018)	संलग्नाधिकारी, राजनांदगांव	संभागीय प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर.
4.	श्री दिनेश कुमार पटेल (2018)	संलग्नाधिकारी, कांकेर	संभागीय प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोक्तिमा यादव, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 मई 2021

क्रमांक 6090/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भड़ेरियापारा प.ह.नं. 34	0.542	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	शंभू माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 जुलाई 2021

प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बंगुरसिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.659 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32/2	0.006
15/2	0.004
15/6	0.003
30/2	0.028
15/4	0.002
33/3	0.032
15/15	0.006
13/1	0.030
11/5ख	0.002
11/5घ	0.002
31/1	0.180
15/11	0.008
13/2	0.009
11/5ग	0.002
33/2	0.326
15/8	0.005
13/4	0.009
11/5क/2	0.005
योग 18	0.659

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साल्हे रायगढ़-हमीरपुर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2021

क्रमांक/688/07/2021-22/स्था.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-24/2011/एक(1) दिनांक 14-07-2021 के तारतम्य में माननीय डॉ. प्रवीण वर्मा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य पद का कार्यभार दिनांक 16-07-2021 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है.

हस्ता./-
सचिव.

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2021

प्ररूप-चार
(नियम 10 देखिये)

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्रमांक/2908/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2021.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बिल्हा निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति :—

1. आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)
2. जिला कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
4. नगर पंचायत बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

के कार्यालय में दिनांक 13-08-2021 से कार्यालयीन समय के दौरान जन सामान्य के निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.

बिल्हा निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत :— ग्राम - झलफा

यदि कोई आपत्ति या सुझाव, इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय नया कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर कार्यालय में छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर द्वारा विचार किया जायेगा.

FORM-IV
(See rule 10)

Notice inviting objections to existing land use map

No. 2908/ELU/TCP/2021.—Notice is hereby given that the existing land use map for Bilha Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inpection during office hours in the offices of :—

1. Commissioner, Division Bilaspur, Dist. Bilaspur (C.G.)
2. District Collector, District Bilaspur (C.G.)
3. Town and Country Planning, Bilaspur (C.G.)
4. Nagar Panchayat Bilha, Dist. Bilaspur (C.G.)

Within Bilha Planning Area :— Village - Jhalfa

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it shall be submitted in writing to the concerned District office of Town and Country Planning within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the chhattisgarh Gazette for due consideration, will be considered by the Joint Director, Town and Country Planning Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2021

प्ररूप–चार
(नियम 10 देखिये)

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्रमांक/2910/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2021.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पेण्ड्रा निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति :—

1. आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)
2. जिला कलेक्टर, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)
3. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
4. नगर पंचायत पेण्ड्रा, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

के कार्यालय में दिनांक 13–08–2021 से कार्यालयीन समय के दौरान जन सामान्य के निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.

पेण्ड्रा निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत :— ग्राम - अमरपुर एवं लटकोनी कला

यदि कोई आपत्ति या सुझाव, इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय नया कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर कार्यालय में छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर द्वारा विचार किया जायेगा.

FORM-IV
(See rule 10)

Notice inviting objections to existing land use map

No. 2910/ELU/TCP/2021.—Notice is hereby given that the existing land use map for Pendra Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inpection during office hours in the offices of :—

1. Commissioner, Division Bilaspur, Dist. Bilaspur (C.G.)
2. District Collector, District Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)
3. Town and Country Planning, Bilaspur (C.G.)
4. Nagar Panchayat Pendra, Dist.- Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)

Within Pendra Planning Area :— Village - Amarpur and Latkoni Kalan

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it shall be submitted in writing to the concerned District office of Town and Country Planning within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the chhattisgarh Gazette for due consideration, will be considered by the Joint Director, Town and Country Planning Bilaspur.

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/1632.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्री अशोक वर्मा, जिला-राजनांदगांव को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/76/2018, दिनांक 24 जून, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 24 जून, 2021—03 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/76/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 76-डोंगरगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अशोक वर्मा, जो छत्तीसगढ़ के 76-डोंगरगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अशोक वर्मा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 04 मार्च, 2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अशोक वर्मा को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अशोक वर्मा द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा अपने दिनांक 02 मई, 2020 के पत्र सं. 05/ई.एस./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा, अपने दिनांक 05 अगस्त, 2020 के पत्र सं. 171/ई.एस./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अशोक वर्मा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अशोक वर्मा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 7-रामानुजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अशोक वर्मा, ग्राम-ठाकुरटोला, पोस्ट-रामाटोला, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 24th June, 2021—03 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/76/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 76-Dongargaon Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Rajnandgaon District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Ashok Verma, contesting candidate Bahujan Samaj Party from 76-Dongargaon Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Rajnandgaon District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 04th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, Sh. Ashok Verma for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 04th March, 2020, Sh. Ashok Verma, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Ashok Verma on 12th March, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Rajnandgaon vide his letter No. 05/ई.एस./2020 dated 02nd May, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Rajnandgaon vide his letter No. 171/ई.एस./2020 dated 05th August, 2020, has stated that Sh. Ashok Verma, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Ashok Verma, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Ashok Verma, resident of Village-Thakurtola, Post-Ramola, Tehsil-Dongargarh, District-Rajnandgaon and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 76-Dongargaon Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/1636.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्री धर्मेन्द्र कुमार, जिला-कबीरधाम को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/71/2018, दिनांक 23 जून, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 23 जून, 2021—02 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/71/2018.—यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, 71-पंडरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री धर्मेंद्र कुमार जो छत्तीसगढ़ के 71-पंडरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, कबीरधाम जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री धर्मेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04 मार्च, 2020 जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 04 मार्च, 2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री धर्मेंद्र कुमार को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस श्री धर्मेंद्र कुमार द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कबीरधाम द्वारा अपने दिनांक 30 अप्रैल, 2020 के पत्र सं. 88/व्यय-लेखा/सा.निर्वा./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा, अपने दिनांक 17 अगस्त, 2020 के पत्र सं. 157/सा.निर्वा./नि.व्यय.अनु/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिर्पोट में यह बताया गया है कि श्री धर्मेंद्र कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री धर्मेंद्र कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 71-पंडरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री धर्मेंद्र कुमार, बैरागपारा, वार्ड नं. 12, पंडरिया, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 23rd June, 2021—02 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/71/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 71-Pandariya Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Kabirdham District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Dharmendra Kumar, Independent candidate from 71-Pandariya Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Kabirdham District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 04th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Dharmendra Kumar, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 04th March, 2020, Sh. Dharmendra Kumar, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Dharmendra Kumar on 20th March, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Kabirdham vide his letter No. 88/व्यय-लेखा/सा.निर्वा./2020 dated 30th April, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Rajnandgaon vide his letter No. 157/सा.निर्वा./नि.व्यय.अनु./2020 dated 17th August, 2020, has stated that Sh. Dharmendra Kumar, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Dharmendra Kumar, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Dharmendra Kumar, resident of Bairagpara, Ward No. 12, Pandariya, Chhattisgarh and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 71-Pandariya Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th June, 2021

No. 434/Confdl./2021/II-3-1/2021.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Amrita Dinesh Mishra, Secretary, District Legal Services Authority.	Kanker	Durg	Durg	II Civil Judge Class-II.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Anup Tigga, II Civil Judge Class-II.	Durg	Surajpur	Surajpur	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.
3.	Smt. Aditi Thakur Shroff, I Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Mahasamund	Mahasamund	II Civil Judge Class-II
4.	Smt. Shweta Goswami, I Civil Judge Class-II.	Dhamtari	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Civil Judge Class-II
5.	Ku. Priya Rajak, III Civil Judge Class-II.	Rajnandgaon	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	II Civil Judge class-II
6.	Ku. Kaminee Verma, III Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II.	Jashpur	Bemetara	Bemetara	I Civil Judge Class-II
7.	Ku. Yogita Jangade, I Civil Judge Class-II.	Dantewara	Mahasamund	Mahasamund	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.

Bilaspur, the 17th June, 2021

No. 436/Confdl./2021/II-3-1/2021.—The following candidates as mentioned in Column No. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting on or before 02-07-2021:—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Ku. Ankita Agrawal, D/o Shri Mohan Lal Agrawal	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh.
2.	Ku. Divya Goyal, D/o Shri Umesh Goyal	VI Civil Judge Class-II, Raipur
3.	Ku. Aishwarya Diwan, D/o Shri Anurag Diwan	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Mahasamund.
4.	Shri Shailesh Kumar Vashishtha, S/o Late Shri Shiv Kumar Sharma.	I Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kanker.
5.	Ku. Afreen Bano, D/o Mo. Salim Memon	II Civil Judge Class-II, Janjgir
6.	Smt. Harshi Agrawal, W/o Shri siddharth Aggareal	V Civil Judge Class-II, Bilaspur
7.	Ku. Meenu Nand, D/o Shri Kismat Lal Nand	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
8.	Ku. Pragya Agrawal, D/o Shri Mukul Kant Agrawal	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Dhamtari.

(1)	(2)	(3)
9.	Ku. Swarna Dehare, D/o Shri Chhatar Singh Dehare.	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
10.	Ku. Kamya Iyer, D/o Shri E. K. Iyer	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
11.	Ku. Sarika Nande, D/o Shri Jagdish Kumar Nande.	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
12.	Shri Ajay Singh Meena, S/o Shri Lala Ram Meena.	I Civil Judge Class-II, Jagdalpur
13.	Ku. Rashmi Mishra, D/o Shri Prakash Mishra	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
14.	Shri Shashwat Dubey, S/o Shri Hemant Dubey	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh.
15.	Ku. Konika Yadav, D/o Shri Sudhir Kumar Yadav.	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Balod.
16.	Shri Ashish Kumar Chandahe, S/o Shri Arun Kumar Chandahe.	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Kondagaon.
17.	Shri Guru Prasad Dewangan, S/o Shri Nand Kumar Dewangan.	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Balod.
18.	Ku. Kumudni Garg, D/o Shri Bhojram Garg	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Dhamtari.
19.	Ku. Ankita Yadu, D/o Shri K. K. Yadu	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Janjgir.
20.	Ku. Unnati Mahiswar, D/o Shri Ullas Vimal Mahiswar.	I Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
21.	Shri Siddharth Annad Soni, S/o Shri Suresh Kumar Soni.	II Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kanker.
22.	Ku. Tannya Brahme, D/o Shri S. K. Brahme.	V Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
23.	Ku. Niti, D/o Shri Bharat Lal Rande	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bemetara.
24.	Shri Manish Kumar, S/o Shri Maya Ram	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
25.	Ku. Sakshi Dhruw, D/o Shri Kartik Ram Dhruw	II Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
26.	Ku. Jenifer Lakra, D/o Shri William Lakra	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
27.	Ku. Dharini Rana, D/o Shri Bharat Lal Rana	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Mahasamund.

(1)	(2)	(3)
28.	Ku. Pranjali Netam, D/o Shri Pramod Netam	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh.
29.	Shri Rajesh Xalxo, S/o Shri William Xalxo	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Jashpur.
30.	Shri Ajay Lakra, S/o Shri Sunil Lakra	I Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Jashpur.
31.	Shri Dhruvraj Gwal, S/o Shri Mahesh Kumar Gwal.	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
32.	Shri Shivendra Kumar Tekam, S/o Shri Chinta Ram Tekam.	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Dantewara.
33.	Ku. Shweta Thakur, D/o Shri B. M. Thakur	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh.
34.	Shri Puneet Tigga, S/o Shri Nirmal Tigga	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.
35.	Ku. Dimple, D/o Shri P. R. Bhedia	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar.
36.	Shri Praveen Kujur S/o Shri Sindhu Kujur	II Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Baikunthpur.

By order of the High Court,
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar General.